

# उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ०प्र० सरकार द्वारा गठित)

मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ

ई-मेल : [hajcommittee.up@gmail.com](mailto:hajcommittee.up@gmail.com), [shcuplko@rediffmail.com](mailto:shcuplko@rediffmail.com)

वेबसाइट: [hajcommittee.up.gov.in](http://hajcommittee.up.gov.in);

पत्रांक : जी-11/01 /एस०एच०सी/लखनऊ/2026

दिनांक : 01.04.2026

## -:प्रेस विज्ञापित :-

हज-2026 के हज यात्रियों को तीसरी किश्त जमा किये जाने हेतु अन्तिम तिथि 31.03.2026 को बढ़ाकर 06.04.2026 कर दी गयी है। हज यात्रियों द्वारा पूर्व में जमा की गयी कुल धनराशि रु० 2,77,300/- के अतिरिक्त पूर्व की भांति स्टेट बैंक/यूनियन बैंक में हज कमेटी की वेबसाइट [hajcommittee.gov.in](http://hajcommittee.gov.in) से पे-स्लिप डाउनलोड कर अथवा डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/यू०पी०आई० या नेट बैंकिंग से अपनी उड़ान स्थल के अनुसार निम्नवत् धनराशि जमा की जानी होगी:-

उड़ान स्थल के नाम	उड़ान स्थलवार कुल व्यय	पूर्व में जमा की गयी कुल धनराशि	अवशेष धनराशि जो जमा करनी है।	कुर्बानी हेतु अतिरिक्त जमा की जानी वाली धनराशि
DELHI	3,46,600/-	2,77,300/-	69,300/-	17,280/-
LUCKNOW	3,52,550/-	2,77,300/-	75,250/-	17,280/-
MUMBAI	3,40,250/-	2,77,300/-	62,950/-	17,280/-
AHMEDABAD	3,33,200/-	2,77,300/-	55,900/-	17,280/-
HYDERABAD	3,43,350/-	2,77,300/-	66,050/-	17,280/-

उपरोक्त अवशेष धनराशि में कुर्बानी हेतु जमा की जाने वाली धनराशि सम्मिलित नहीं है। इसीलिये जिन हज यात्रियों ने अदाही/कुर्बानी का विकल्प चुना है उन्हें रु० 17,280/- की धनराशि और जमा करनी होगी तथा शिया हज यात्री जो किसी भी उड़ान स्थल से जेद्दाह जायेंगे उन्हें जोहफा मीकात हेतु रु० 5,520/- की धनराशि और जमा करनी होगी।

उपरोक्त धनराशि में कैटरिंग व्यवस्था को छोड़कर हवाई किराया, एयरपोर्ट टैक्स, इश्योरेंस, स्मार्ट वाच आदि व्यय सम्मिलित हैं। कैटरिंग व्यवस्था होने पर इसके व्यय से बाद में सूचित किया जायेगा।

(एस०पी० तिवारी)

सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ०प्र० को मा० मंत्री जी को अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज को मा० मंत्री जी को अवगतार्थ।
3. मा० अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ।
4. मा० सदस्यगण, उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ०प्र० शासन।
6. निदेशक, उ०प्र० अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।
8. समस्त स्टेट हज इंस्पेक्टर / समस्त ट्रेनर, उ०प्र०।
9. समस्त ट्रेनिंग सेन्टर/ई-सुविधा केन्द्र, उ०प्र०।
10. सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०।

Digitally signed by  
Sheo Prakash Tiwari  
Date: 01-04-2026  
12:26:27

(एस०पी० तिवारी)

सचिव/कार्यपालक अधिकारी